

# समाहरणालय, रामगढ़ (उत्पाद शाखा)

## बन्दोबस्ती सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए रामगढ़ जिला की मदिरा की खुदरा दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु इस कार्यालय से निर्गत बिक्री अधिसूचना ज्ञापांक-190/उ0 दिनांक-11.02.2016 (पुनः ज्ञापांक-229/उ0 दिनांक-19.02.2016 द्वारा यथा संशोधित) के आलोक में दिनांक-09.03.2016 एवं दिनांक 19.03.2016 को सम्पन्न बन्दोबस्ती के उपरांत शेष अबंदोबस्त रह गये समूह संख्या - 7, 8, 9, 11 एवं 12 के अन्तर्गत कुल 15 (पंद्रह) खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती एकल दुकान के रूप में दिनांक - 30.03.2016 को 03.00 बजे अपराह्न में समाहरणालय सभा कक्ष रामगढ़ में आवेदन के आधार पर लॉटरी के माध्यम से योग्य आवेदकों की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जायेगी। बन्दोबस्ती हेतु पात्रता, शर्तें एवं बंधेज उक्त बिक्री अधिसूचना के अनुरूप होगी।

इच्छुक उम्मीदवार निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार अपना आवेदन "ऑन लाईन विधि" से वेबसाईट [jhr.nic.in/exciselottery](http://jhr.nic.in/exciselottery) पर Login कर समर्पित कर सकते हैं एवं आवेदन शुल्क ऑन लाईन आवेदन समर्पित करने के अगले 01 (एक) बैंक कार्य दिवस तक बैंक में जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इच्छुक उम्मीदवार "ऑफ लाईन विधि" से भी अर्थात् जिला उत्पाद कार्यालय में विहित प्रपत्र में वांछित आवेदन शुल्क के साथ आवेदन समर्पित कर सकते हैं।

बन्दोबस्ती की तिथि (बन्दोबस्ती स्थल-समाहरणालय सभाकक्ष, रामगढ़)	आवेदकों हेतु "ऑनलाईन" आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि	आवेदकों हेतु "ऑफ लाईन" विधि (अर्थात् उत्पाद कार्यालयों में विहित प्रपत्र में आवेदन शुल्क के साथ) कार्यालय अवधि 10.00 AM से 5.00 PM तक आवेदन समर्पित करने तथा "ऑनलाईन" आवेदन समर्पित करने वाले आवेदकों हेतु आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि	बिक्री अधिसूचना (उत्पाद प्रपत्र 127 क) में निहित शर्तों एवं बंधेजों के अन्तर्गत वांछित कागजात एवं आवेदन शुल्क के साथ विहित प्रपत्र में "ऑफ लाईन" आवेदन समर्पित करने का स्थान
30.03.2016	28.03.2016	29.03.2016	कार्यालय सहायक आयुक्त उत्पाद समाहरणालय, हजारीबाग

### खुदरा उत्पाद दुकानों का विवरण

क्र. सं.	दुकान का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्यभूत मात्रा (एम0जी0क्यू0)				वार्षिक अनुज्ञाशुल्क	वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का 1/12वां भाग (प्रतिभूति राशि/मासिक अनुज्ञाशुल्क)	आवेदन शुल्क दुकान वार
		देशी शराब (LPL में)	म0दे0 शराब (LPL में)	विदेशी शराब (LPL में)	बीयर (BL में)			
1	देशी शराब दुकान रामगढ़ छावनी पर्षद नं0-01	24528	2712	0	0	1362000	113500	8000
2	देशी शराब दुकान रामगढ़ छावनी पर्षद नं0-02	24528	2712	0	0	1362000	113500	8000
3	देशी शराब दुकान रामगढ़ छावनी पर्षद नं0-03	24528	2712	0	0	1362000	113500	8000
4	देशी शराब दुकान कुज्जु	56193	6305	0	0	3124900	260409	6000
5	देशी शराब दुकान मरार	24528	2712	0	0	1362000	113500	6000
6	देशी शराब दुकान सेवटा	24528	2712	0	0	1362000	113500	6000
7	देशी शराब दुकान बसंतपुर घाटो	49952	6305	0	0	2812850	234405	5000
8	देशी शराब दुकान भुरकुण्डा	56193	6305	0	0	3124900	260409	6000
9	देशी शराब दुकान पतरातु	37466	5044	0	0	2125500	177125	6000
10	देशी शराब दुकान माण्डु	37467	5048	0	0	2125750	177146	6000
11	देशी शराब दुकान चितरपुर	29964	5044	0	0	1750400	145867	6000
12	विदेशी शराब दुकान माण्डु	0	0	33715	37950	6469375	539115	6000
13	विदेशी शराब दुकान चितरपुर नं0-02	0	0	32357	36432	6208955	517413	6000
14	कम्पोजिट दुकान हेसागढा	27693	2673	18307	33513	5224720	435394	5000
15	कम्पोजिट दुकान छतरमाण्डु/ कोठार	27834	2701	18561	34870	5297975	441498	5000
	कुल	445402	52985	102940	142765	45075325	3756281	93000

बन्दोबस्ती संबंधी आवेदन पत्र, आवश्यक शपथ पत्र का प्रारूप एवं बिक्री अधिसूचना (उत्पाद प्रपत्र-127 'क') का अवलोकन झारखंड सरकार के वेबसाईट [www.jharkhand.gov.in](http://www.jharkhand.gov.in) पर किया जा सकता है तथा सहायक आयुक्त उत्पाद, रामगढ़ के हजारीबाग समाहरणालय स्थित कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।

  
उपस्थित, रामगढ़

झापांक 357 / उ० हजारीबाग, दिनांक 19.03.2016.

गतिलिपि- 1. आयुक्त उत्पाद, झारखंड, राँची को सूचनार्थ।

2. उपायुक्त उत्पाद (मुख्यालय), झारखंड, राँची/उपायुक्त उत्पाद, उतरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ।
3. पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को सूचनार्थ।
4. अधिशासी पदाधिकारी, छावनी परिषद, रामगढ़ /अध्यक्ष, कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ को सूचनार्थ।
5. उप विकास आयुक्त, रामगढ़/अपर समाहर्ता, रामगढ़ को सूचनार्थ।
6. अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ एवं रामगढ़ जिला के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी /जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचार प्रसारार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि उक्त बिक्री अधिसूचना को कार्यालय के सूचनापट्ट पर सर्वसधारण के जानकारी के लिए प्रदर्शित किया जाए।
7. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (NIC) रामगढ़ को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/सभी अधीक्षक उत्पाद को सूचनार्थ एवं वृहद प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।
9. जिले के सभी उत्पाद पदाधिकारी/कर्मचारी को सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि इस बिक्री अधिसूचना का वृहद प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक आवेदकों को आवेदन देने हेतु प्रोत्साहित करेंगे।
10. उपायुक्त के कार्यालय अधीक्षक, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं इस बिक्री अधिसूचना को कार्यालय सूचनापट्ट पर चिपकाने हेतु प्रेषित।

  
उपायुक्त  
रामगढ़।